भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 63

20 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट और भूकंप-रोधी क्षमता के लिए राष्ट्रीय ढांचा

63 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यूनाइटेड किंगडम और कोरिया गणराज्य जैसे देशों में अपनाए गए कानूनी नियमों की तरह, ऊंची इमारतों के समय-समय पर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाने वाला कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इमारतों की संरचनात्मक नींव की मजबूती के संबंध में भूकंपीय गतिविधियों और समय के साथ पुराने होने की प्रक्रिया के संचयी दीर्घकालिक प्रभावों की निगरानी के लिए कोई राष्ट्रीय तंत्र मौजूद है;

(ग) निर्माण के बाद इमारतों के ढांचे में खराबी का जल्द पता लगाने और उन्हें गिरने से रोकने हेतु समय-समय पर संरचनात्मक जांच को अनिवार्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और

(घ) ढांचे के कमजोर होने का जल्द पता लगाने, लोगों की सुरक्षा बढ़ाने और इमारतों को गिरने से रोकने के लिए ऐसे कानून को बनाने और लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, भवन योजना अनुमोदन और भवन उप-नियमों के प्रवर्तन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार मॉडल विनियमों, तकनीकी मानकों, दिशा-निर्देशों और परामर्शों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता

करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियम (एमबीबीएल) - 2016 (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/07/0e33558a9326c8a89f945cae00cc3647.pdf) प्रकाशित किया है, जिसमें अध्याय -6 संरचनात्मक सुरक्षा के प्रावधानों से संबंधित है, और इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपीय सुदृढ़ीकरण से संबंधित दिशानिर्देश/मानक निर्धारित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भवनों एवं संरचनाओं के भूकम्परोधी डिजाइन एवं निर्माण तथा भवनों के भूकम्पीय मूल्यांकन, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न भारतीय मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि आईएस 1893 (संरचनाओं के भूकम्परोधी डिजाइन के लिए मानदंड), आईएस 4326:2013 (भवनों का भूकम्परोधी डिजाइन एवं निर्माण - आचार संहिता (तृतीय पुनरीक्षण)) तथा अन्य संबद्ध संहिताएँ, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने भवन विनियमों के अंतर्गत अपनाने एवं प्रवर्तित करने के लिए जारी किया गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूकंप प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भूकंप जोखिम में कमी लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें सुरक्षित निर्माण, भवनों का संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण तथा रेट्रोफिटिंग, विशेष रूप से जीवन रेखा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु उपाय (https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/earthquakes.pdf) में दिए गए हैं।

संरचनात्मक एवं भूकम्पीय सुरक्षा के आवधिक ऑडिट, भवन निरीक्षण व्यवस्था तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के विनियमों और उनके प्रवर्तन का दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूएलबी) और यूएलबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

*****